

पुलिस अधीक्षक, जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के निर्देशन में आज दिनांक- 10.01.2021 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त 1. संजय पुत्र टिकवा निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर को मय 40 पच्चे अवैध शराब 2. राजेन्द्र पुत्र जोगेन्द्र निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर को मय 44 पच्चे अवैध शराब व 3. शहजाद पुत्र नन्हे निवासी मौ0 अहमद नगर थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 30 पच्चे अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अमरोहा नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त रानू पुत्र दयाराम सिंह सैनी निवासी ग्राम रफातपुरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा को मय 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना डिडौली पुलिस द्वारा अभियुक्त रामपाल पुत्र नियादर सिंह निवासी ग्राम रतनपुर थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना नौगावा सादात पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 02 अभियुक्त 1. दिलजानी पुत्र रमजानी व 2. अख्तर पुत्र रईस निवासीगण लकडहैट थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को मय 52 ताश के पत्ते व 1110/- रुपये नगद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नौगावा सादात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा अभियुक्ता चन्द्रवती पत्नी स्व0 रामपाल सिंह निवासी ग्राम पपसरा बांगर थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना बछरायूं पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. परम पुत्र बुद्धिराम निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बछरायूं को मय 110 लीटर अवैध कच्ची शराब व 2. फूल सिंह पुत्र मुखराम सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना बछरायूं जनपद अमरोहा को मय 120 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बछरायूं पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा भट्टी लगाकर अवैध शराब तैयार करने वाले अभियुक्त कन्हैया पुत्र प्रकाश सिंह निवासी ग्राम शीशोवाली थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 100 लीटर अवैध शराब व उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर अवैध शराब की भट्टी नष्ट कराई गई तथा करीब 2000 लीटर लाहन नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त लल्लू पुत्र किशोर निवासी ग्राम दारानगर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 100 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।
- थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियुक्त बबलेश पुत्र चेताराम सिंह निवासी ग्राम खुम्बावली थाना गजरौला जनपद अमरोहा को मय 50 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

- थाना रजबपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त राहुल पुत्र कृपाल सिंह निवासी मौ0 छंगा दरवाजा थाना अमरोहा नगर जनपद अमरोहा को मय 40 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना सैदनगली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. हरिओम पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम बेगमपुर मुन्डा थाना सैदनगली व 2. रामसिंह पुत्र तुल्ला निवासी फय्याजनगर थाना सैदनगली जनपद अमरोहा को मय 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त कलुआ पुत्र बुद्ध सैनी निवासी ग्राम करनपुर खादर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा भट्टी लगाकर अवैध शराब तैयार करने वाले अभियुक्त लालमन पुत्र विन्धा निवासी ग्राम पीतमपुर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को मय 35 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर अवैध शराब की भट्टी नष्ट कराई गई तथा करीब 200 लीटर लाहन नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना आदमपुर पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. रामानन्द पुत्र मंगल व 2. परम सिंह पुत्र नत्थू निवासी ग्राम दुल्हेपुर अहीर थाना आदमपुर जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।
- जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों का चालान धारा 151 द0प्र0सं0 में किया गया। जिसमें थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्ति, थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्ति व थाना रहरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति का धारा 151 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया गया।